राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड

के

निर्णय लेने की प्रकियाः–

(Procedure followed in Decision Making Process)

न्यायिक प्रकियाः– उपभोक्ता आयोग में राज्य आयोग स्तर पर जिला आयोगों से जिन विवादों का निस्तारण हो जाता हैं यदि कोई पक्षकार उस निर्णय से क्षुब्ध/असंतुष्ट होता हैं तो वह आयोग में उक्त निर्णय की दिनांक से 45 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकता हैं। अपील दायर करते समय जिला आयोग द्वारा आदेशित राशि का 50% जमा किया जाना अनिवार्य हैं। अपील पर प्रारम्भिक सुनवाई निबंधक द्वारा की जाती ह और यदि अपील में कोई त्रुटि पाई जाती हैं तो निबंधक द्वारा उसको 15 दिन के अन्दर सुधारने का समय दिया जाता हैं और त्रुटि दूर किये जाने के उपरान्त अपील सुनवाई हेतु आयोग की पीठ के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। और यदि 15 दिन के भीतर त्रुटि दूर नही की जाती तो निबंधक द्वारा अपील पर अपनी टिप्पणी अंकित कर अपील को आयोग की पीठ के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग उत्तराखण्ड में दिनांक 01.06.2023 से ऑन–लाईन E-Daakhil पोर्टल से वाद दायर करना अनिवार्य है । साथ ही वादों की सुनवाई पक्षकार व अधिवक्तागण Virtua mode (Bench-I) से भी कर सकते हैं । वादों का निस्तारण ऑन–लाईन प्रक्रिया से गतिमान है।

राज्य आयोग में 50 लाख मूल्यांकन से अधिक तथा 02 करोड मूल्यांकन तक के वाद सीधे दायर किये जा सकते है। 50 लाख रूपये से अधिक और एक करोड़ रूपये तक के वाद पर 2000/–रूपये, एक करोड़ रूपये से अधिक और दो करोड़ रूपये तक 4000/– रूपये, परिवाद शुल्क के रूप में परिवाद दायर करने वाले पक्षकार द्वारा जमा करना अनिवार्य हैं। यह राशि निबंधक के पक्ष में देय ड्राफ्ट के द्वारा जमा की जाती हैं।

अपील/परिवाद दर्ज होने के बाद पक्षकारो को नोटिस जारी की जाती है कि वह नियत तिथि को उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/उत्तर प्रस्तुत करें, तत्पश्चात सुनवाई की तिथि नियत की जाती है, नियत तिथि का सुनवाई कर निर्णय की तिथि निश्चित कर दी जाती है। नियत तिथि को निर्णय पारित कर दिया जाता है।

जिला आयोगां में 50 लाख रूपये तक के मूल्यांकन के उपभोक्ता वाद प्रस्तुत किये जाते है। जिला आयोग में परिवाद प्रस्तुत करने करने के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है जो इस प्रकार है–

1. पाँच लाख रूपये तक – शून्य।
2. पांच लाख से अधिक और दस लाख रूपये तक –500 रूपये।
3. दस लाख से अधिक और बीस लाख रूपये तक–800 रूपये ।
4. बीस लाख से अधिक और पचास लाख रूपये तक –1000 रूपये ।

परिवाद दर्ज होने के बाद पक्षकारों को नोटिस जारी की जाती है कि वह नियत तिथि को उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/उत्तर प्रस्तुत करें, तत्पश्चात सुनवाई की तिथि नियत की जाती है, नियत तिथि को सुनवाई कर निर्णय की तिथि निश्चित कर दी जाती है। नियत तिथि को निर्णय पारित कर दिया जाता है।

लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था

राज्य आयोग एवं जिला आयोगों द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्णय पारित किये जाते हैं उनको जनता के हितों के लिए अखबारां और टी वी चैनल पर निःशुल्क प्रचारित एवं प्रसारित किया जाता है, जिससे आम उपभोक्ता को अपने हित के बारे में जानकारी हो सके। मा0 राज्य आयोग द्वारा वादों में पारित अन्तिम आदेश की प्रमाणित प्रति यदि किसी पक्षकार द्वारा कार्यालय से एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त नहीं की जाती है तो उसको संबंधित पक्षकार को डाक के माध्यम से प्रेषित किया जाता है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार राज्य आयोग का जिला आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण हैं एवं राज्य आयोग पर माननीय राष्ट्रीय आयोग ,नई दिल्ली का प्रशासनिक नियन्त्रण है। प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन राज्य आयोग जिला आयोगां में वादों के निस्तारण की प्रगति आख्या मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक प्राप्त कर माननीय राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है, एवं आय–व्यय का विवरण प्राप्त कर शासन को आवश्कतानुसार प्रेषित किया जाता है।